भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4153

उत्तर देने की तारीख : 19.08.2025

सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरणों का अभाव

4153. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2022 और 2023 में संपरीक्षा की गई सीवर दुर्घटनाओं में हुई 90 प्रतिशत से अधिक मौतों में कर्मचारियों को कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे;

(ख) यदि हां, तो सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली एजेंसियों द्वारा सुरक्षा नयाचारों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या दोषी एजेंसियों के विरुद्ध कोई दांडिक कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): लेखा परीक्षा के अनुसार अधिकांश सफाई कर्मचारी असंगठित क्षेत्र के माध्यम से निजी व्यक्तियों द्वारा नियोजित किए गए थे, तथा उनके पास उचित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं थे।

(ख): स्वच्छता भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय है।

"हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2013" (एमएस नियम, 2013) के अनुसार, नियोक्ता के लिए नियमों में यथानिर्धारित सुरक्षा गियर, उपकरण उपलब्ध करवाना और सुरक्षा सावधानियां सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में कार्यान्वयन के लिए 2023-24 में "राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम कार्ययोजना (नमस्ते)" योजना शुरू की है। इसका

उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना तथा उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

इस योजना में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट; आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड और सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण
- आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाइयों (ईआरएसयू) को सुरक्षा उपकरण
- सफाई कर्मचारियों और उनके अधिकतम पांच व्यक्तियों के समूह को स्वच्छता संबंधी मशीनरी के लिए अग्रिम पूंजी सब्सिडी देना
- सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई की रोकथाम पर कार्यशालाओं का आयोजन करना।

इसके अतिरिक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सीवर और सेप्टिक टैंकों की सुरक्षित सफाई के लिए निम्नलिखित सलाह जारी की है:-

i. सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना।
ii. आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (ईआरएसयू) के माध्यम से सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और प्रबंधकीय हस्तक्षेप के लिए सलाह।
iii. सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए रेडी रेकनर।
iv. स्वास्थ्य जांच उपलब्ध करवाने और सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से देश भर में सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों का आयोजन करना।

(ग): राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे सीवर और सेप्टिक टैंक में होने वाली मौतों के मामलों की जांच करवाएं और यह सुनिश्चित करें कि 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 और 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2013 (एमएस नियम, 2013) के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए और एमएस अधिनियम, 2013 की धारा 7 का उल्लंघन करते हुए सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक सफाई के लिए व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए।

*****